न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 840/ 2019

1 राकेश कुमार डेलू पुत्र साहबराम डेलू जाति जाट निवासी 7 टी के डब्लयू ताखरांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 प्रेमकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 7 टी के डब्ल्यू ताखरांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 साहबराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी 7 टी के डब्लयू ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिलाश्रीगंगानगर

2 विधा देवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी 7 टी के डब्लयू ताखरांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 कलावती देवी पुत्री साहबराम पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी बोदीवाला पीथा तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 3.1.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,53 आर.टी. ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 7 टी के डब्लयू जमाबदी समवत 2068–2071 खाता संख्या 93/80 प.न. 15/217 मु.न. 22 कि. न. 1, 2, 3/2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.543 है. नहरी, 0.114 है. गै.मु. रास्ता, प.न. 16/217 मु.न. 23 कि.न .4/2, 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 2.327 है. नहरी, 0.051 हे. गे.मु. रास्ता कुल खाता 5.035 हे. नहरी मय गे.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा यानि 2.517 हे. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदीसंलग्न वाद पत्र है। वादीगण प्रतिवादीसंख्या 1 के पुत्र है एव वादीगण एव प्रतिवादीगण हिन्दू है एव हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल से शासित है जहां प्रत्येक सन्तान को सहदायिकी सम्पति में जन्म से ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी विरासतन भूमि है एव वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने के नाते वादाधीन आराजी में कानूनन हक हिस्सा रखते है जो कि वादाधीन आराजी में वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारा प्रतिवादीसंख्या 3 जिसकी शादि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने मिलकर उसके हक हिस्सा को ध्यान में रखते हुये अच्छे खानदान में दान दहेज देकर की हुयी है जिससे खुश होकर प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की आराजी को वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक में छोड़ दिया है एव मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार वादाधीन आराजी मेंवादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. आराजी प्राप्त हुयी है एव इसी अनूसार वादीगण एव प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को काश्त करते आ रहे है।वादीगण के हक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के नाम से मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगणको पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा बेदखल किये जाने का अंदेशा लगारहता है जिस कारण वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी को मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ है इसलिए वादीगण अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने के कानूनन हक अधिकारी है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादीगण मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि चक 7 टी के डब्लयू जमाबदी समवत 2068–2071 खाता संख्या 93/80 प.न. 15/217 मु.न. 22 कि.न. 1, 2, 3/2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.543 है. नहरी, 0.114 है. गै.मु. रास्ता, प.न. 16/217 मु.न. 23 कि.न .4/2, 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 2.327 है. नहरी, 0.051 हे. गे.मु. रास्ता कुल खाता 5.035 हे. नहरी मय गे.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा यानि 2.517 हे. आराजी में से वादी संख्या 1 को 0.629 है. व वादी संख्या 2 को 0.629 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 कानाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पेश हेाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा मय काउन्टर क्लैम पेश कर निवेदन किया कि चक 7 टी के डब्लयू जमाबदी समवत 2068–2071 खाता संख्या 93/80 प.न. 15/217 मु.न. 22 कि.न. 1, 2, 3/2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.543 है. नहरी, 0.114 है. गै.मु. रास्ता, प.न. 16/217 मु.न. 23 कि.न .4/2, 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 2.327 है. नहरी, 0.051 हे. गे.मु. रास्ता कुल खाता 5.035 हे. नहरी मय गे.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा यानि 2.517 हे. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 2 को 0.629 है. आराजी की खातेदार काश्तकार घोषित कियाजावे एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 कानाम कलमजन किया जावे।

जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दोराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया, वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है व वादाधीन सहदायिकी सम्पति में पुत्र होने के नाते अपने हक हिस्सा की मांग कर रहे है जो कि वादीगण के वाद पत्र को प्रतिवादीगण ने अपने इकबाल कथनों से समर्थन कर स्वीकार किया है व प्रतिवादी संख्या 2 ने वादाधीन आराजी में 1/4 हिस्सा की मांग की है । वादीगण एव प्रतिवादीगण ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है व वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारानूसार प्राप्त आराजी पर कोई विवाद आपस में नही है एव पक्षकारान ने पारिवारिक बंटवारा मे सहमति प्रदान की है। इस प्रकार वादी एव प्रतिवादी ने अपने दावा व प्रतिदावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, इकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है वाद वादी एव काउन्टर क्लैम प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

अतः वाद वादीगण व काउन्टर क्लैम प्रतिवादी सं. 2स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 7 टी के डब्लयू जमाबदी समवत 2068–2071 खाता संख्या 93/80 प. न. 15/217 मु.न. 22 कि.न. 1, 2, 3/2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 2.543 है. नहरी, 0. 114 है. गै.मु. रास्ता, प.न. 16/217 मु.न. 23 कि.न .4/2, 5 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 2.327 है. नहरी, 0.051 हे. गे.मु. रास्ता कुल खाता 5.035 हे. नहरी मय गे.मु. रासता आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 2.517 हे. आराजी में से वादी संख्या 1 को 0.629 है. व वादी संख्या 2 को 0.629 है. व प्रतिवादी संख्या 2 को 0.629 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एव वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त आराजी की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 16:38:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: